झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 10 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री प्रकाश चन्द्र चंदन, ग्राम+पो0-औरा, बगोदर, गिरिडीह।

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा0, गिरिडीह।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0—10 / 2023 परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन एवं अन्य, ग्राम+पो0—औरा, थाना—बगोदर, जिला—गिरिडीह का परिवाद पत्र दिनांक—27.02.2023 को आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादी द्वारा औरा पंचायत के राशन डीलर कुरबान अन्सारी के विरूद्धमाह दिसम्बर में प्रति यूनिट 2.5 कि0ग्रा0 कम अनाज देने एवं ऑनलाईन में पूर्ण अनाज वितरण दर्ज किये जाने का आरोप लगाया गया है। यह भी कि उनके स्तर से ज्ञात करने पर डोर स्टेप डिलिवरी परिवहन अभिकर्ता के द्वारा डीलर को कम अनाज उपलब्ध कराये जाने की बात सामने आई है। परिवादी द्वारा इससे संबंधित विवरण अपने परिवाद पत्र में अंकित करते हुए कई और राशन वितरको के साथ इस प्रकार का मामला होने का अंदेशा जताया गया है। परिवादी ने इस संबंध में जांच कर कार्रवाई करने तथा पूर्ण राशन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। साथ ही इस अनियमितता में डोर स्टेप डिलिवरी अभिकर्ता समेत अन्य दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु अनुरोध किया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से भी सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक—22.03.2023 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त शिकायत आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक—22.03.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। Sd/- 6.3.23 Sd/- 06/03/2023 **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश...docx90